



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 15 मई 2024

थाना खानपुर

गैंगस्टर पुष्पेन्द्र द्वारा अपराध कारित करके सृजित सम्पत्ति करीब 93,23,076/- (तिरानवे लाख तेईस हजार छिहत्तर रुपये) कुर्क की गयी-

जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 15.05.2025 को थाना खानपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर **पुष्पेन्द्र पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम ढकरोली थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर** द्वारा जुआ/सट्टे जैसे अपराध करके आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर 93,23,076/- (तिरानवे लाख तेईस हजार छिहत्तर रुपये) को गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जब्त किया गया है।

अपराधी पुष्पेन्द्र की जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-

- 1- 65,69,299/- (पैंसठ लाख उनहत्तर हजार दो सो नित्यानवे रुपये) (विभिन्न बैंक खातों में जमा)
- 2- 0.24775 हैक्टेयर कृषि भूमि (कीमत-27,53,777/- रुपये)
- 3- कुल सम्पत्ति-93,23,076/- रुपये

अभियुक्त पुष्पेन्द्र का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 97/18 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 156/24 धारा 3/4 जुआ अधिनियम थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 345/24 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री गजेन्द्र सिंह उपजिलाधिकारी स्याना मय राजस्व टीम।
2. श्री प्रखर पाण्डेय क्षेत्राधिकारी स्याना।
3. श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक खानपुर मय पुलिस टीम।
4. श्री रितेश कुमार सिंह थाना प्रभारी नरसैना मय पुलिस टीम।



मीडिया सैल बुलन्दशहर